न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 02/2022

दायर दिनांकः 03.01.2022

निर्णय दिनांक 03.10.2025

–ःअनवानः–

राज्य सरकार जरिये, संदीप माथुर, जिला रसद अधिकारी, जिला राजसमन्द

– **प्रार्थी**

–ः बनाम ः–

1. श्री राजेन्द्र गुर्जर पिता भंवरलाल गुर्जर, निवासी भावा, थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द
2. श्री प्रभूलाल गुर्जर पिता कालु गुर्जर, निवासी भावा, थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 जब्तशुदा अवैध तरल पदार्थ 155 लीटर अवैध रूप से संगृहित एवं पिकअप आर0जे030 जीए 4085 में परिवहन किये जाने से जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

1– श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी

2– श्री घनश्याम सिंह भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

ः निर्णय ः

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 6 ए मे जब्तशुदा ज्वलनशील तरल पदार्थ 155 लीटर अवैध रूप से संग्रहित एवं परिवहन किये जाने वाले से जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात कराने बाबत निवेदन किया कि दिनांक 19.08.2021 को प्रातःकाल करीब 08.00 बजे जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना, कांकरोली ने जरिये दूरभाष पर सूचित किया कि आज रात्रि में करीब 02.00 बजे महासतियों की मादडी ओवर ब्रीज के पास नेशनल हाईवे के किनारें होटल माँ घाटा राणी के सामने एक पीकअप से कुछ लोग गाड़ियों में अवैध तरीके से नकली/मिलावटी तरल ईंधन के रूप में भरने की सूचना मिलने पर थानाधिकारी कांकरोली मय जाप्ता द्वारा दो युवकों को मौके पर अवैध नकली/मिलावटी तरल ईंधन व पिकअप सहित पकड़ रखा है तथा घटनास्थल पर पुलिस जाप्ता तैनात है। पिकअप की तलाशी व अग्रिम कार्यवाही रसद अधिकार की उपस्थिति में की जानी है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर समय करीब प्रातः 09.00 बजे में एवं श्री चक्षु पंडया, प्रवर्तन निरीक्षक, राजसमन्द को हमराह लेकर रवाना हो करीब प्रातः 09:30 बजे महासत्तियों की मादड़ी ओवरब्रीज के पास नेशनल हाईवे के किनारे माँ घाटा राणी होटल के सामने पहुंचे जहां श्री शान्तिलाल, सहायक उप निरीक्षक, श्री विजय सिंह होम गार्ड, श्री अरविन्द कानि0 606 मय सरकारी वाहन उपस्थित के मिले। मौके पर दो युवक श्री राजेन्द्र गुर्जर पिता भंवरलाल गुर्जर, निवासी मावा, थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द एवं श्री प्रभूलाल गुर्जर पिता कालु गुर्जर, निवासी भावा, थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द मय पिकअप नम्बर आर0जे0 30 जीए 4085

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के उपस्थित मिले, उक्त पिकअप को तिरपाल से ढका हुआ था, जिसकी मेरे द्वारा कानि0 श्री अरविन्द 606 के साथ मौके पर तलाशी ली, तो पिकअप के डालें में एक लोहे की बड़ी टंकी चौकोर रखी हुई टंकी पर ही मीटर बोक्स लगा हो तरल पदार्थ भरने की नोजल पाईप लगी हुई थी। पिकअप में रखी लोहे की टंकी में भरे तरल पदार्थ को चौक किया तो उसमे प्रथम दृष्टया डीजल जैसा तरल पदार्थ होना पाया गया। पिकअप नम्बर आर0जे030 जीए 4085 के डाले में टंकी में भरा हुआ तरल पदार्थ अत्यंत ही ज्वलनशील पदार्थ होकर अवैध तरीके से वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाना पाया गया। उक्त तरल पदार्थ को टंकी में से नोजल से निकालकर सुंधने, देखने व छुने पर प्रथम दृष्टया चिकनाई युक्त वाहन ईंधन जैसा पदार्थ होना पाया। मौके पर पकड़े गये दोनों व्यक्ति श्री राजेन्द्र गुर्जर व श्री प्रभूलाल गुर्जर को पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उक्त तरल पदार्थ वाहनों में ईधन के रूप में भरकर उनके द्वारा विक्रय किया जाता है एवं उनके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज व कागजात नहीं बताया। मौके पर पिकअप नम्बर आर0जे030 जीए 4085 में पड़ी लोहे की टंकी में भरे तरल पदार्थ नकली डीजल या वाहन ईंधन द्रव्य पदार्थ होने की सम्भावना होने से सेम्पलिंग हेतु मौके पर से विक्रय अधिकारी इण्डियन ऑयल श्री वीरेन्द्र मीणा से दूरभाष पर वार्ता की गई तो उनका प्रतिनिधि मै0 कुर्यान हुसैन एण्ड संस. राजसमन्द से श्री मुस्तफा मय एल्युमिनीयम की तीन बोतले, डेन्सीमीटर, सील, प्लास्टिक की बाल्टी, लोहे का ड्रम के उपस्थित आया। एल्युमिनीयम की तीनों बोतलों को पिकअप नम्बर आर0 जे0 30 जीए 4085 में पड़ी लोहे की टंकी से निकाले मिलावटी डीजल से धोकर व सुखाकर उसी टंकी से क्रमशः नमूना सेम्पल व कन्ट्रोल सेप्पल मार्क ए0बी0सी0 एल्युमिनियम की एक–एक लीटर की बोतलों में लेकर बोतलों को लकड़ी के बॉक्स में रख सीलचीट किया। इसी प्रकार पिकअप में रखी लोहे की टंकी में भरे तरल पदार्थ को नोजल से एक साफ लोहे के जूम में भरकर माप किया तो करीब 155 लीटर तरल पदार्थ होना पाया गया, जिसकी हाई स्पीड डीजल डेन्सिटी मीटर से डेन्सिटी 808 रिडिंग 32 डिग्री पर डेन्सिटी पर डेन्सिटी चार्ज 814.2 होना पाया गया। उक्त मिलावटी डीजल पुनः उसी पिकअप में रखी लोहे की टंकी में भरा गया। पिकअप में रखी लोहे की टंकी में भरा तरल पदार्थ व अन्य सामान को पिकअप नम्बर आरजे 30 जीए 4085 को जरिये फर्द मौके पर जब्त किया गया। मौके पर उपस्थित दोनों श्री राजेन्द्र गुर्जर व श्री प्रभूलाल गुर्जर RJ30 GA 4085 पिकअप के डाले में रखी हुई एक लोहे की बड़ी चौकोर टंकी, जिसमे नीचे दो वाल्व लगे हुए, एक वाल्व पारदर्शी नली से मीटर एवं मोटर से जुड़ा हुआ पाईप पर डीजल भरने के लिये नोजल लगी हुई, टंकी के उपर एक मीटर लगा हुआ एवं टंकी में संग्रहित कुल 155 लीटर तरल पदार्थ के क्रम में वैध दस्तावेज मांगने पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं संतोषप्रद जवाब नहीं देने से उक्त सामान को जरिये फर्द मौके पर जब्त किया जाकर थानाधिकारी, पुलिस थाना, कांकरोली को सुपुर्दगी में दिया जाकर थाना के मालखाने में रखवाया गया है। इस प्रकार श्री राजेन्द्र गुर्जर पिता भंवरलाल गुर्जर, निवासी भावा, थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द एवं श्री प्रभूलाल गुर्जर पिता कालु गुर्जर, निवासी भावा, थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1956 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से पुलिस थाना कांकरोली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि एक लोहे की बड़ी चौकोर टंकी, जिसमे नीचे दो वाल्व लगे हुए, एक वाल्व पारदर्शी नली से मीटर एवं मोटर से जुड़ा हुआ पाईप पर डीजल भरने के लिये नोजल लगी हुई, टंकी के उपर एक मीटर लगा हुआ एवं टंकी में संग्रहित कुल 155 लीटर तरल पदार्थ को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि उक्त सामग्री शीघ्र ज्वलनशील वस्तु है, अतः धारा 6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उक्त तरल पदार्थ का अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ राजसमन्द (राज.) ★

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री घनश्याम सिंह भाटी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी गई।

प्रार्थी वाहन स्वामी श्री मोहनलाल रेगर पिता सोनाराम जी रेगरा निवासी भावा पुलिस थाना कांकरोली तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम सिंह भाटी ने वकालतनामा प्रस्तुत कर वाहन संख्या आर जे 30 जी एल 4085 को छुड़ाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया, जिसके क्रम में न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2022 को प्रार्थी श्री मोहनलाल रेगर पिता सोनाराम जी रेगर का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 28.02.2022 को वाहन को छोड़ा गया।

वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि दिनांक 19.08.2021 को अप्रार्थी श्री राजेन्द्र गुर्जर पिता भंवरलाल गुर्जर, निवासी भावा, थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द एवं श्री प्रभूलाल गुर्जर पिता कालु गुर्जर, निवासी भावा, थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द से पिकअप के डालें में एक लोहे की बड़ी टंकी चौकोर रखी हुई थी। उक्त टंकी पर ही मीटर बोक्स लगा हो तरल पदार्थ भरने की नोजल पाईप लगी हुई थी। पिकअप में रखी लोहे की टंकी में भरे तरल पदार्थ को चैक किया तो उसमे प्रथम दृष्टया डीजल जैसा तरल पदार्थ होना पाया गया। पिकअप नम्बर आर0जे030 जीए 4085 के डाले में टंकी में भरा हुआ तरल पदार्थ अत्यंत ही ज्वलनशील पदार्थ होकर अवैध तरीके से वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाना पाया गया। मौके पर पकड़े गये दोनों व्यक्ति श्री राजेन्द्र गुर्जर व श्री प्रभूलाल गुर्जर को पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उक्त तरल पदार्थ वाहनों में ईधन के रूप में भरकर उनके द्वारा विक्रय किया जाता है एवं उनके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज व कागजात नहीं बताया। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि एक लोहे की बड़ी चौकोर टंकी, जिसमे नीचे दो वाल्व लगे हुए, एक वाल्व पारदर्शी नली से मीटर एवं मोटर से जुड़ा हुआ पाईप पर डीजल भरने के लिये नोजल लगी हुई, टंकी के उपर एक मीटर लगा हुआ एवं टंकी में संग्रहित कुल 155 लीटर तरल पदार्थ को राजसात करने की कृपा करें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व थानाधिकारी कांकरोली की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी श्री राजेन्द्र गुर्जर पिता भंवरलाल गुर्जर, निवासी भावा, थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द एवं श्री प्रभूलाल गुर्जर पिता कालु गुर्जर, निवासी भावा, थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द से पिकअप के डालें में एक लोहे की बड़ी टंकी चौकोर रखी हुई थी। उक्त टंकी पर ही मीटर बोक्स लगा हो तरल पदार्थ भरने की नोजल पाईप लगी हुई थी। पिकअप में रखी लोहे की टंकी में भरे तरल पदार्थ को चैक किया तो उसमे प्रथम दृष्टया डीजल जैसा तरल पैट्रोलियम पदार्थ भरा था। उक्त टंकी में भरे तरल पदार्थ पेट्रोलियम या बायो डीजल की मात्रा कुल 155 लीटर थी। मौके पर वक्त जांच उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के बारे में अप्रार्थीगण से जांच दल द्वारा वैध लाईसेंस व दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया किन्तु न तो उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया और न ही मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के संग्रहण के संबंध में कोई वैध अनुज्ञापत्र आदि उपलब्ध

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कराया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से भी अपने पक्ष के समर्थन में ऐसे कोई अकाट्य तर्क व प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से उपयोग किया जाना पाया जाता हैं।

अतः यहां यह स्पष्ट रूप से जाहिर आया है कि क्षैत्र में अवैध पट्रोल व डीजल का व्यवसाय करने वालो का समूह सक्रिय रूप से कार्यरत है। तथा अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री किया जाना न केवल मानव सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित है अपितु इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का अन्यथा उपयोग किये जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे मानव स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सके। अतः बिना विक्रय संबंधी दस्तावेजो के अवैध तरल पदार्थ का विक्रय करना दस्तावेजो से प्रमाणित होता है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा टंकी में संग्रहित कुल 155 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 155 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ मय एक लोहे की बड़ी चौकोर टंकी, जिसमे नीचे दो वाल्व लगे हुए, एक वाल्व पारदर्शी नली से मीटर एवं मोटर से जुड़ा हुआ पाईप पर डीजल भरने के लिये नोजल लगी हुई तथा टंकी के उपर लगा हुआ मीटर सभी को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 155 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ व समस्त अन्य सामान का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)